[illegible] अभिभाषक अप्रार्थी व [illegible] सरकार अधिवक्ता। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उद्घोषणा (धारा 88) से सम्बन्धित है प्रार्थी द्वारा जो रिलिफ मांगी गयी है वह धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती से सम्बन्धित न होकर उद्घोषणा धारा 88 से सम्बन्धित है। भू राजस्व अधिनियम 1956 मे प्रावधान है कि नाम दुरुस्तीकरण, नक्शा सीट मे गलत तरमीम से होना है जबकि प्रार्थी द्वारा जो रिलिफ धारा 136 मे चाहा गया है वह न्यायसंगत नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह उचित प्रतीत होता कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे आराजी खसरा नम्बर 831/1113 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा ग्राम कुम्हारिया तहसील चौथ का बरवाड़ा मे स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थी ने अप्रार्थी आनन्दा पुत्र गंगा बिशन जाति गुर्जर निवासी कुम्हारिया से जरिये रजि० विक्रयपत्र दिनांक 22.06.98 को खरीद किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 07.09.98 को स्वीकृत/ समाधान अभियान मे खोली दिया गया व जमाबन्दी 2044-47 मे प्रार्थी का बतौर खातेदार का इन्द्राज हो गया व प्रार्थी को दिनांक 07.09.98 को अप्रार्थी आनन्दा द्वारा कब्जा दे दिया गया। नये सेटलमेन्ट मे प्रार्थी का नाम जमाबन्दी मे इन्द्राज नही हुआ है